बी 14 फारम संख्या 562

कार्यालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

अनिल कुमार पाण्डेय वगै० ......प्रथम पक्ष

पक्ष

बनाम अशोक पाण्डेय वगै० ......द्वितीय पक्ष

(खे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ......135...... सन् 2022

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक अनिल कुमार पाण्डेय वगै० पिता स्व0 ब्रज किशोर पाण्डेय, साकिन–चौधरीडीह, थाना–सरिया, जिला– गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा–सिंगदाहा अंतर्गत, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–41, रकवा–02 एकड़, चौहद्दीः उ0–प्लॉट नं0–38,39,40, द0–रोड, पू0–टहल दुसाध, प0–प्लॉट नं0–21 में भू–विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, सरिया से मांगे। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ सरिया के ज्ञापांक सं0 2124/22 दिनांक 15.11.22 के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 24.11.22 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 24/11/22 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
24/11/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतनामा दाखिल। द्वितीय पक्ष उप०। अभिलेख दिनांक 8/12/22 को रखें।	
8/12/22	उभय पक्ष वकालतनामा दाखिल। अभिलेख दिनांक 22/12/22 को रखें। दोनों पक्ष जवाब दाखिल करें।	
22/12/22	उभय पक्ष वकालतनामा दाखिल। अगली तारीख 05-01-2023 पर अभिलेख रखें।	
5/1/23	उभय पक्ष वकालतनामा दाखिल। अभिलेख दिनांक 9-01-23 को रखें।	
9-1-23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप०। अभिलेख दिनांक 12/1/23 को रखें।	
12/1/23	प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप०। आदेश की टंकित प्रति संलग्न। 12/1	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

यह वाद आवेदक अनिल कुमार पाण्डेय वगै० पिता स्व० ब्रज किशोर पाण्डेय, साकिन–चौधरीडीह, थाना–सरिया, जिला–गिरिडीह के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनिल कुमार पाण्डेय वगै० बनाम द्वितीय पक्ष के अशोक यादव वगै० को प्रश्नगत भूमि पर धारा 144 द०प्र०सं० की प्रक्रिया प्रारंभ कर उभय पक्षों को प्रश्नगत भूमि पर जाने से रोक लगाई गई साथ हीं उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर प्रश्नगत भूमि के दावे के समर्थन में कारण पृच्छा की मांग की गई। प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

मौजा– सिंगदाहा, थाना–सरिया, जिला– गिरिडीह अंतर्गत, खाता नं0–01, प्लॉट नं0–41, रकवा–02 एकड, चौहद्दीः उ0–प्लॉट नं0–38,39,40, द0–रोड, पू0–टहल दुसाध, प0–प्लॉट नं0–21।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों, थाना प्रभारी, सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने व उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के कथन सुनने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह मामला भूमि के हक–हकियत से संबंधित है। चुँकि वाद की कार्यवाही धारा 144 द०प्र०सं० के तहत शांति बनाये रखने के लिए प्रारम्भ हुई, जिसकी अवधि मात्र 60 दिनों की होती है।

अतः काल बाधित होने के कारण वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

12/1/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

12/1/23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.02.11 15:09:29 +05:30
Location: 192.168.1.4